रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/98 REGISTERED NO. D.L.—33002/98

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 1998/श्रावण 22, 1920 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 207
No. 132] DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 1998/SRAVANA 22, 1920 [N.C.T.D. No. 207

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग
अधिसूचनाएं
दिल्ली, 13 अगस्त, 1998

सं. एफ. 2 (5)/89/674.—श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) तथा विविध उपबंधों अधिनियम, 1955 की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. फा. 2 (8/57/जे. 2) दिनांक 14-9-57 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उप-श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त और श्रमायुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की, उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस राशि के लिए, जो एक समाचार पत्र कर्मचारी को नियोक्ता से देय होगी, वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से, प्रधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करते हैं ।

अधिसूचना सं. एफ. 2 (5)/83/921 दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
के उप-राज्यपाल के नाम एवं आदेश पर
पीयूष शर्मा, अवर सचिव

LABOUR DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 13th August, 1998

No. F. 2 (5)/89/674.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F 2 (8/57/J.II) dated the 14th September, 1957 the Lt Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to specify Dy. Labour Commissioner, Joint Labour Commissioner and Labour Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi as the Authority for the National Capital Territory of Delhi for the purpose of issuance of recovery certificates for the amount that may be due to a newspaper employee from the employer, under the said Act.

Notification No. F. 2 (5) 83/921 dated the 22nd December 1983 is hereby cancelled

By Order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

PIYUSH SHARMA Under Secy.

भूमि व भवन विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 13 अगस्त, 1998

सं. : एफ.-7 (35)/93/भू.वभ./भू.अ./7195 :—भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण संख्या एफ-7 (35)/93/भू. व भ./भू.अ/31201 दिनांक 31-12-93 धारा 4 और संख्या एफ-7 (35)/93/भू. व भ./भू. अ./1076 दिनांक 3-5-94

धारा 6 को भूमि अधिनियम 1894 द्वारा अधिसूचित की गई थी, को मुक्त करने हेतु सहर्ष निर्देश देते हैं ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)
बिजवासन	16–04	50/4	2–11
		50/5	2–08
		50/6	3–19
		49/1	4–06
		49/2	3–00

आदेश से,

जे.के. रावल, उप–सचिव

LAND & BUILDING DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 1998

No. F. 7 (35)/93/L&B/LA/7195.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to withdraw the following area from acquisition covered by notification No. F. 7 (35)/93/L & B/LA/31201 dated 31-12-93 Under Section 4 and declaration No. F 7 (35)/93/L & B/LA/1076 dated 3-5-94 Under Section 6 of the Land Acquisition Act.

SPECIFICATION

Name of Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Bijwasan	16-04	50/4	2-11
		50/5	2-08
		50/6	3-19
		49/1	4-06
		49/2	3-00

By Order,

J.K. RAWAL, Dy Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998